HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला के मामले में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 19.02.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने वाले एक अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 11.11.2022 को अभियुक्त राजेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम उबारपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ द्वारा अपने गांव निवासी अमीन खान के सिर पर बलकटी से हमला कर घायल करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मु0अ0सं0 277/2022 धारा 308, 323, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 17.12.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19.02.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास व 4,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमति नरेश चन्द शर्मा (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उप निरीक्षक श्री महेन्द्र शर्मा एवं पैरोकार है0का0 पुष्पेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर म0 है0का0 अन्जू का विशेष योगदान रहा।